

कार्यालय जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी / गौतमबुद्धनगर  
पत्रांक / मान्यता / 3087 / 2014-15 दिनांक 24.12.14.

प्रबन्धक

सेंट हुड कॉन्वेन्ट स्कूल, द्वादशी

विकास खण्ड द्वादशी, जनपद गौतमबुद्धनगर

विषय— निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम – 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण – पत्र।

महोदय / महोदया,

आपके तारीख 14.08.2014 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्यर्ती पत्राचार / निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से मैं उपरोक्त विद्यालय को तारीख 01.07.2015 से तारीख 30.06.2018 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए नर्सरी कक्षा से कक्षा आठ तक के लिये अंग्रेजी माध्यम की अनंतिम मान्यता प्रदान करने की सूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्याधीन है –

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप से कक्षा 08 के पश्चात मान्यता / संबंधन करने के लिये कोई मान्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाध्य 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम – 2010 (उपाध्य 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथारिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस – पड़ोस के कमज़ोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधो के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी / विद्यालय किसी कोषिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और उसके बालक या उसके माता – पिता या सरकार को किसी स्थानीय संस्था के नियमों के अनुसार कारण अवैश्वर्य का देने से नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का संबंध से निष्कासित नहीं करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।

I. प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी कारण में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।

M. Nagar  
Saint Hood Convénient School  
Vidhya Nagar, Fink City Road  
Dadri (G.B.Nagar)

M. Nagar  
Saint Hood Convénient School  
Vidhya Nagar, Fink City Road  
Dadri (G.B.Nagar)

Saint Hood Convénient School  
Vidhya Nagar, Fink City Road  
Dadri (G.B.Nagar)

- ii. किसी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्ययीन नहीं किया जायेगा ।
- iii. प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी ।
- iv. प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा ।
- v. अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तिता ग्रस्त / विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा ।
- vi. अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास अस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएँ नहीं हैं पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएँ अर्जित करेंगे ।
- vii. अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों को पालन करता है और
- viii. अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन कियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे ।
7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा ।
8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालयों के मानकों और सनियमों को बनाये रखेगा । अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं:-
- |  |                  |
|--|------------------|
| विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल                      | 6500 वर्ग मी०    |
| कुल निर्मित क्षेत्रफल                            | 2000 वर्ग मी०    |
| क्रीड़ास्थल का क्षेत्रफल                         | शेष क्रीड़ा स्थल |
| कक्षों की संख्या                                 | 25               |
| प्राध्यापक - सहकार्यालय - सहभंडागार के लिये कक्ष | 03               |
| बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय              | उपलब्ध है ।      |
| पेयजल सुविधा                                     | उपलब्ध है ।      |
| मिड - डे मील पकाने के लिए रसोई                   | उपलब्ध है ।      |
| बाधारहित पहुँच                                   | है ।             |

*Saint Hood Convent School  
(G.B.Nagar)-2022*


पठन सामग्री / कीड़ा खेलकूल उपस्करण / पुस्तकालय की उपलब्धता


9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलायी जायेंगी ।
10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों द्वारा लिये किया जायेगा ।


*Principal*  
**Saint Hood Convent School**  
Vidya Nagar, Pink City Road  
Dadri (G.B. Nagar)


*Chairman*  
**Saint Hood Convent School**  
Vidya Nagar, Pink City Road  
Dadri (G.B. Nagar)


11. विद्यालय को सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
12. स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नहीं चलाया जा रहा है।
13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टड अकाउंटेट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित-लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14. आपके विद्यालयों को आवंटित मान्यता कोड संख्याक है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिये इस संख्याक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने वाले या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किए जायें।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाये तथा प्रति छात्र / छात्राओं के बैठने हेतु 09 वर्ग फीट का स्थान निर्धारित करें।
17. संलग्न उपायंथ के अनुसार अन्य कोई शर्त।

  
जिला शिक्षा अधिकारी  
गोतमबुद्धनगर

  
Manager  
Saint Hood Convent School  
(G.B.Nagar)-203207  
Vidhya Nagar, Pink City Road  
Dadri (G.B.Nagar)

  
M. Nager  
Saint Hood Convent School  
Vidhya Nagar, Pink City Road  
Dadri (G.B.Nagar)

  
Principal  
Saint Hood Convent School  
Vidhya Nagar, Pink City Road  
Dadri (G.B.Nagar)

  
Principal  
Saint Hood Convent School  
Vidhya Nagar, Pink City Road  
Dadri (G.B.Nagar)

# SAINTHOOD CONVENT SCHOOL



(Running under society)

(Sainthood Shiksha Prasaar Samiti)

Vidhya Nagar, Pink City Road, Dadri, Gautam Budh Nagar (U.P.)

Ref. No.

Dated : 27-01-2017

सेवा में,

जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी  
गौतमबुद्धनगर

महोदय,

निवेदन है कि आपके कार्यालय के पत्रांक 3087 दिनोंक 24-12-14 के द्वारा विद्यालय को कक्षा 8 तक मान्यता प्रदान की गयी है। क्षेत्रीय लोगों की मांग व बच्चों को सेकेन्डरी स्तर की शिक्षा देने हेतु विद्यालय द्वारा, सी० बी० ई० एस० ई० दिल्ली से सेकेन्डरी स्तर की सम्बद्धता प्राप्त करने के लिए आवेदन किया जा चुका है। आपको सूचनार्थ प्रेषित।

धन्यवाद

Manager  
Saint Hood Convent School  
Dadri (G.B.Nagar) - 201320  
दादरी, गौतमबुद्धनगर

Manager  
Saint Hood Convent School  
Dadri (G.B.Nagar) - 201320

Manager  
Saint Hood Convent School  
Vidhya Nagar, Pink City Road  
(G.B.Nagar)

Principal  
Saint Hood Convent School  
Vidhya Nagar, Pink City Road  
Dadri (G.B. Nagar)

Manager  
Saint Hood Convent School  
Vidhya Nagar, Pink City Road  
Dadri (G.B.Nagar)

Principal  
Saint Hood Convent School  
Vidhya Nagar, Pink City Road  
Dadri (G.B. Nagar)

प्रैष्ठक

सुनील फुमार  
प्रभुत्व सचिय,  
उम्मेद आसन

रीवा गें (१८७९) १०११  
२०१८ रिका विदेशक (वेसिक)  
उत्तर प्रदेश।

शिक्षा अंगभाग-६

ਲਖਨਊ ਦਿਨੋਂਕ: 06 ਮਈ, 2013

**विषय:** अंग्रेजी संस्कृति की विद्या के लिए विद्यार्थी ने अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों की मान्यता दिये जाने समर्थी हाईस्कूल) अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों की मान्यता दिये जाने समर्थी, संशोधित मानक एवं शर्तें।

मार्केटिंग

उपर्युक्त विषयक शासनादेश रांगड़ा-437/79-6-2011 दिनांक 19 मई, 2011 एवं अंतिमो पत्र दिनांक 15-12-2012, दिनांक 12-02-2013 एवं दिनांक 30-04-2013 के संर्वांग में भूजो शोधसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि निःशुल्क एवं अनियार्थ बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 एवं तदनुक्रम में राज्य सरकार द्वारा पारित शिक्षा का अधिकार नियनागती-2011 में विहित प्राधिकारानां तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर मा10 उच्चतम् न्यायालय एवं मा10 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को दृष्टिगत् रखते हुए सम्बन्धक विद्यारोपणात् पर्व में विद्यालयों की मान्यता रामबन्धी निधानों एवं विभागीय निर्देशों को अतिरिक्त करते हुए श्री राज्यपाल अंग्रेजी भाष्यम से शिक्षा ऐने वाले अशासकीय नरसीरी/प्राथमिक (प्राइमरी)/उच्च प्राथमिक विद्यालय (जूनियर हाईस्कूल) द्वी अस्थायी/स्थायी मान्यता प्रदान विद्ये जाने हेतु निम्नलिखित सामर्कों एवं शर्तों के निर्देशः द्वी तर्ह रवीकृति प्रदान करते हैं :-

- (1) इस आदेश को निर्माण होने के उपरान्त गिर्वारिटा भानक एवं शर्तों को पूर्ण करने वाले विद्यालयों को भी मान्यता प्रदान की जायेगी।
  - (2) पूर्व से मान्यता प्राप्त विद्यालय भी इन राशोधित भानक / शर्तों को उपरान्त निःशुल्क एवं अनिवार्य वाल रिक्षा था: अधिकार नियमावली-2011 लागू होने की तिथि से 03 दर्व में अपने आर्थिक स्रोतों से पूरा बदलने हेतु आवश्यक कदम उठायें। अन्यथा भवित्व प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्रत्याहरित करने हेतु नियमानुसार कार्यालय की जारी हो। मान्यता प्रत्याहरण के उपरान्त इस प्रकार का विद्यालय किसी भी दशा में शब्दालित नहीं किया जायेगा।
  - (3) विद्यालय में अग्रि विद्यालयों को अनुसार रथाप्रियता प्रदान की जाना होगा।

~~6639~~  
~~Panchayat School~~  
~~Saint Mood Content School~~  
~~Vimaya Nagar, Phirki City Road~~  
~~Deoli (G.B. Nagar) Road~~

*Junileep*  
Manager  
~~Saint Hilda's Girls' School~~  
~~Saint Hilda's Girls' School~~  
Dadri (G.B.Nagar) - 203207

(14) मूल आधिनियम-2009 एवं आधिनियम-2012 की धारा-15(4) के द्वारा किये गये सशाखन असहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालयों पर लागू नहीं होंगे।

(15) प्रथमतया विधायिका प्रतिलिपि पर नियमालीन में उलिलालित आधिकारों के दृष्टिकोण औपचारिक सामग्री की व्यापारिकता के लिए दी जायेगी। इस अवधि में संसदीय व्यापारिक व्यापार भवति से सम्बन्धित यदि कोई अतिकूल तथ्य संबंधित नहीं होता हो तो उस व्यापारिक अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालयों के स्थानीय मालव्यापा प्राप्त हो गयी है।

कृपया उक्त मानवों/शर्तों का कड़ाई से अनुपालन किया जाये।  
संलग्नक—यथोक्त

भवदीय,

(सुनील कुमार)  
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तार्देवा।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक यार्थवाही हेतु प्रेषितः—

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. आपर शिक्षा निदेशक (वै0), उत्तर प्रदेश, शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
4. सचिव, वैसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
5. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (वैरिंग), उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
8. गार्ड फाईल।

४८)

आज्ञा से,

४८/४१५/३  
(ममता श्रीयास्त्री)  
संयुक्त सचिव।

Principal  
Saint Hood Convent School  
Saint Hood Convent School  
Vidya Nagar (Bijli City Road)  
Dadri (G.B. Nagar)

Manager  
Saint Hood Convent School  
Dadri (G.B. Nagar)-203207  
Saint Hood Convent School  
Dadri (G.B. Nagar)-203207